

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल

ऑफिस कॉम्प्लेक्स प्रथम तल ब्लॉक-A एकात्म पथ,सेक्टर-24 अटल नगर, रायपुर (छ0ग0)

ईमेल- secretaryboc@gmail.com, phone No. 0771-2971063

// अधिसूचना //

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 10/07/2023

क्रमांक/33/04/योजना/बीओसी/2023/148 :- "भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996" सहपठित "छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियमन) नियम 2008" के नियम 277 तथा 279 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छ.ग. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल एतद् द्वारा छ.ग. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के हितग्राहियों के लिए संचालित "निर्माण श्रमिक ई-रिक्शा सहायता योजना" में पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक 64 दिनांक 20.04.2018 के कण्डिका (अ) योजना का प्रावधान के उपबिन्दु (i) में निम्नानुसार आंशिक संशोधन करती है :-

निर्माण श्रमिक ई-रिक्शा सहायता योजना :-

(क) योजना का प्रावधान :-

1. योजना का नाम "निर्माण श्रमिक ई-रिक्शा सहायता योजना" होगा के स्थान पर

योजना का नाम "दीदी ई-रिक्शा सहायता योजना" होगा।

उपरोक्त अधिसूचना जारी दिनांक से प्रभावशील होगी।

(छ0ग0 शासन, श्रम विभाग द्वारा अनुमोदित)

(सविता मिश्रा)

सचिव


छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, अटल नगर


पृ0क्रमांक/33/04/योजना/बीओसी/2023/1572-1587 नवा रायपुर, दिनांक 10/07/23
प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक, माननीय श्रम मंत्रीजी, छ0ग0 शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर (छ0ग0)।
2. निज सहायक, माननीय अध्यक्ष, छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल ऑफिस कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, ब्लॉक-A, एकात्म पथ, सेक्टर-24, अटल नगर नवा रायपुर (छ0ग0)।
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, (छ0ग0)।
4. श्रमायुक्त, कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़, इंद्रावती भवन, द्वितीय तल, खण्ड-03, नवा रायपुर, अटल नगर, (छ0ग0)।
5. प्रभारी अधिकारी, छ0ग0 असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल, इंद्रावती भवन, द्वितीय तल, खण्ड-03, नवा रायपुर, अटल नगर, (छ0ग0)।

निरंतर.....2

6. कल्याण आयुक्त, छ0ग0 श्रम कल्याण मंडल, प्रवीण भवन 31/520, न्यू शांति नगर, रायपुर (छ0ग0)।
 7. समस्त, जिला कलेक्टर,(छ0ग0)।
 8. संचालक, संचालनालय, कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला-रायपुर (छ0ग0)।
 9. संचालक, संचालनालय, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला-रायपुर (छ0ग0)।
 10. समस्त सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी कार्यालय(छ0ग0)।
 11. समस्त उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा कार्यालय(छ0ग0)।
 12. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर उपरोक्त अधिसूचना जन सामान्य के सूचनार्थ समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
 13. उप संचालक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, खैरागढ़ रोड़, राजनांदगांव (छ0ग0) की ओर आगामी राजपत्र में प्रकाशित किए जाने हेतु प्रेषित कर लेख है कि कृपया प्रकाशित राजपत्र की 50 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
 14. लेखा शाखा, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल नवा रायपुर, अटल नगर, (छ0ग0)।
 15. एन0आई0सी0 शाखा, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0) की ओर तत्काल वेब साईट में अपलोड करने बाबत्।
 16. गार्ड फाईल।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संप्रेषित।**


16/01/2023
सचिव

 छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मंडल, अटल नगर

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल

ऑफिस कॉम्प्लेक्स प्रथम तल ब्लॉक-A एकात्म पथ, सेक्टर-24, अटल नगर, नवा रायपुर (छ0ग0)

ईमेल- secretaryboc@gmail.com, phone No. 0771-2971063

// अधिसूचना //

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 12/05/2022

क्रमांक/33/04/योजना/बीओसी/2022/119....."भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996" सहपठित "छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियमन) नियम 2008" के नियम 277 तथा 279 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्वारा छ.ग. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के हितग्राहियों के लिए संचालित "निर्माण श्रमिक ई-रिक्शा सहायता योजना" में पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक 64 दिनांक 20.04.2018 के कण्डिका (अ) योजना के प्रावधान एवं कण्डिका (स) योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया में निम्नानुसार आंशिक संशोधन करती है :-

निर्माण श्रमिक ई-रिक्शा सहायता योजना :-

(अ) योजना का प्रावधान :-

- छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा रूपये 50,000/- अनुदान दिया जावेगा, को अतिक्रमित करते हुए

"छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा राशि रूपये 1,00,000/- (अक्षरी राशि एक लाख रु) अनुदान दिया जावेगा"

(स) योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया में बिन्दु क्र0 (v) एवं (vi) को अनिवार्य रूप से सम्मिलित करता है :-

(v) योजना के तहत ऑनलाईन आवेदन करते समय आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज :-

1. हितग्राही के जीवित श्रमिक पंजीयन परिचय पत्र की प्रति।
2. बैंक से लोन प्राप्त करने संबंधी दस्तावेज की मूल स्कैन प्रति।
3. आधार कार्ड।
4. ड्राईविंग लायसेंस
5. बैंक पास बुक


टीप:- ऑनलाईन आवेदन के साथ केवल मूल दस्तावेज ही स्कैन कर ऑनलाईन अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा।

निरंतर.....2

(vi) आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की समयवधि – योजनांतर्गत आवेदन बैंक से ऋण स्वीकृति के 90 दिवस के भीतर प्रस्तुत करना होगा।

उपरोक्त योजना में संशोधन दिनांक 01.05.2022 से प्रभावशील होगी।

(छ.ग. शासन श्रम विभाग द्वारा अनुमोदित)


(राजेश कुमार पात्रे)
सचिव

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मंडल, अटल नगर

पृ0क्रमांक/33/04/योजना/बीओसी/2022/1805, नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 12/05/22
प्रतिलिपि :-
1819

1. अपर मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छ0ग0 शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।
2. विशेष सहायक, माननीय श्रम मंत्रीजी, छ0ग0 शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, (छ0ग0)।
3. निज सहायक, माननीय अध्यक्ष, छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल ऑफिस कॉम्पलेक्स, प्रथम तल, ब्लाक-A, एकात्म पथ, सेक्टर-24, अटल नगर नवा रायपुर (छ0ग0)।
4. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, (छ0ग0)।
5. श्रमायुक्त, कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़, इन्द्रावती भवन, द्वितीय तल, खण्ड-03, नवा रायपुर, अटल नगर, (छ0ग0)।
6. प्रभारी अधिकारी, छ0ग0 असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल, इन्द्रावती भवन, द्वितीय तल, खण्ड-03, नवा रायपुर, अटल नगर, (छ0ग0)।
7. कल्याण आयुक्त, छ0ग0 श्रम कल्याण मंडल, प्रवीण भवन 31/520, न्यू भांति नगर, रायपुर (छ0ग0)।
8. संचालक, संचालनालय, कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला-रायपुर (छ0ग0)।
9. संचालक, संचालनालय, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला-रायपुर (छ0ग0)।
10. समस्त जिला कलेक्टर,(छ0ग0)।
11. समस्त सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी कार्यालय(छ0ग0)।
12. समस्त उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा कार्यालय(छ0ग0)।
13. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर उपरोक्त अधिसूचना जन सामान्य के सूचनार्थ समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
14. उप संचालक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, खैरागढ़ रोड़, राजनांदगांव (छ0ग0) की ओर आगामी राजपत्र में प्रकाशित किए जाने हेतु प्रेषित कर लेख है कि कृपया प्रकाशित राजपत्र की 50 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

15. लेखा शाखा, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल नवा रायपुर, अटल नगर, (छ0ग0)।
16. एन0आई0सी0 शाखा, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0) की ओर तत्काल वेब साईट में अपलोड करने बाबत्।
17. गार्ड फाईल।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संप्रेषित।



सचिव

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मंडल, अटल नगर

छत्तीसगढ़ शासन
श्रम विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, अटल नगर, जिला-रायपुर

// अधिसूचना //

अटल नगर, रायपुर, दिनांक 23.1.19

क्रमांक एफ 10-02/2019/16 : भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 के नियम सहपठित छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) नियम, 2008 के नियम 277 तथा 279 में दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्वारा छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा संचालित योजना "निर्माण श्रमिक ई-रिक्शा सहायता योजना" की अधिसूचना क्रमांक 64 दिनांक 20.04.2018 में हितग्राहियों के लिए उल्लेखित योजना में निम्नानुसार आंशिक संशोधन करती है :-

योजना का नाम :- "निर्माण श्रमिक ई-रिक्शा सहायता योजना"

(ब) योजना की पात्रता :-

(V) पंजीकृत निर्माण श्रमिक का आर0टी0ओ0 द्वारा जारी ड्रायविंग लायसेंस को अनिवार्य रूप से सम्मिलित करता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(एफ0करके0टा)

अवर सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

पृष्ठांकन एफ 10-02/2019/16

अटल नगर, रायपुर, दिनांक 23.1.19

प्रतिलिपि :-


1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर (छ0ग0),
2. निज सहायक माननीय अध्यक्ष, छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, अटल नगर (छ0ग0),
3. निज सचिव, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर (छ0ग0),
4. श्रमायुक्त, श्रमायुक्त कार्यालय, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, रायपुर (छ0ग0),
5. समस्त जिला कलेक्टर (छ0ग0),
6. सचिव, छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, अटल नगर (छ0ग0),

...2...

7. समस्त सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी कार्यालय
(छ0ग0),
8. संचालक/उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा,
(छ0ग0),
9. एन0आई0सी0 शाखा छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल अटल नगर
की ओर तत्काल ऑनलाईन वेब साईट में अपलोड करने हेतु,
10. नियंत्रक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, खैरागढ़ रोड़, राजनांदगांव (छ0ग0) की ओर
अधिसूचना की एक प्रति संलग्न प्रेषित कर उक्त अधिसूचना की 100 प्रतियां विभाग को
उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

11. गार्ड फाईल।


अवर सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
श्रम विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, अटल नगर, जिला-रायपुर

// अधिसूचना //

अटल नगर, रायपुर, दिनांक 06/10/2018

क्रमांक एफ 10-20/2018/16 :- राज्य शासन एतद्वारा छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के तृतीय कार्यकाल की नवम् बैठक दिनांक 15-06-2018 में लिए गए निर्णय अनुसार मंडल द्वारा संचालित योजना "निर्माण श्रमिक ई-रिक्शा सहायता योजना" में निम्नानुसार संशोधन करता है :-

निर्माण श्रमिक ई-रिक्शा सहायता योजना :-


(अ) योजना के प्रावधान :-

- छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा राशि रूपये 50,000/- (अक्षरी राशि रूपये पचास हजार) अनुदान दिया जावेगा के अतिरिक्त-
 1. यदि महिलाएं ई-रिक्शा लेने की इच्छुक है, तो मण्डल द्वारा राशि रूपये 50,000/- (अक्षरी राशि रूपये पचास हजार) कुल राशि रूपये 1,00,000/- (अक्षरी राशि रूपये एक लाख) सब्सिडी प्रदाय किया जावेगा।
 2. महिला हितग्राहियों को ई-रिक्शा परिचालन किया जाना अनिवार्य है, अन्यथा उपरोक्त अतिरिक्त राशि रूपये 50,000/- (अक्षरी राशि रूपये पचास हजार) की सब्सिडी प्रदाय नहीं किया जावेगा।
 3. प्रदेश में केवल 1,000 महिलाओं को प्राथमिकी के आधार पर ई-रिक्शा सहायता योजना से लाभान्वित किया जावेगा एवं प्रथम 1,000 महिलाओं को लाभान्वित करने के पश्चात् यह आदेश स्वमेव समाप्त हो जावेगा तथा पूर्व में जारी अधिसूचना यथावत रहेगी।
 4. महिला हितग्राहियों को ई-रिक्शा का आवेदन जिला कार्यालय में प्रस्तुत किया जावेगा एवं स्वीकृति का अधिकार जिला कार्यालय को होगा। प्रकरण की स्वीकृति के उपरांत बैंक द्वारा ऋण स्वीकृति के पश्चात् के पश्चात् ही अनुदान की राशि जिला कार्यालय द्वारा जारी की जावेगी।



योगेश्वर

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(तीरथ प्रसाद लड़िया)
अवर सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

// 2 //


पृष्ठांकन एफ 10-20/2018/16
प्रतिलिपि :-

अटल नगर, रायपुर, दिनांक 06/10/20

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर (छ0ग0)
2. निज सचिव, विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर (छ0ग0)
3. श्रमायुक्त, श्रमायुक्त कार्यालय, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, रायपुर (छ0ग0)
4. सचिव, छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, अटल नगर, रायपुर (छ0ग0)।
5. कलेक्टर जिला- (छ0ग0)।
6. समस्त सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी कार्यालय (छ0ग0)
7. उप संचालक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, खैरागढ़ रोड़, राजनांदगांव (छ0ग0) की ओर प्रेषित कर लेख है कि कृपया उक्त अधिसूचना आगामी राजपत्र में प्रकाशन उपरांत इसकी 100 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

8. गार्ड फाईल।


अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

लेखा/स्थापना/भण्डार/योजना/समन्वय/स्टेनो
दिनांक. 12/10/18. लेखाअधिकारी सचिव


12/10/2018

1748
आयुक्त प्रशासन
दिनांक. 15/10/18
रायपुर

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल

पी0 3सी0, 244-245, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, सेक्टर-27, नया रायपुर

अधिसूचना

नया रायपुर, दिनांक 20.07.2018

क्रमांक.....64..... "भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996" सहपठित "छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियमन) नियम 2008" के नियम 277 तथा 279 में दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एतद् द्वारा छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के हितग्राहियों के लिए निम्नानुसार योजना बनाती है:-

(अ) योजना का प्रावधान :-

- (i) योजना का नाम "निर्माण श्रमिक ई-रिक्शा सहायता योजना" होगा।
 - योजना के क्रियान्वयन हेतु पंजीकृत निर्माण श्रमिक को ई-रिक्शा हेतु स्वयं के द्वारा रू0 10,000/- प्रदाय किया जावेगा।
 - छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा रूपये 50,000/- अनुदान दिया जावेगा।
 - ई-रिक्शा हेतु बकाया शेष राशि बैंक से लोन के माध्यम से संबंधित रिक्शा चालक को ऋण दिलवाया जावेगा, जिसका भुगतान हितग्राही द्वारा बैंक द्वारा निर्धारित अवधि एवं ब्याज में देय होगा।
 - बैंक द्वारा हितग्राही का लोन स्वीकृत किए जाने संबंधी दस्तावेज सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी को उपलब्ध कराये जाने पर हितग्राही के खाते में सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी द्वारा मंडल का अंशदान हस्तांतरित किया जावेगा।

(ii) योजना के प्रावधान अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होगा।

(ब) योजना की पात्रता :-

- (i) पंजीकृत निर्माण महिला श्रमिक अथवा पंजीकृत निर्माण महिला श्रमिकों का समूह जो स्व-सहायता योजना के तहत पंजीकृत हो, को योजना के लाभ की पात्रता होगी।
- (ii) पंजीकृत श्रमिक की आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष आयु समूह की हो।



- (iii) योजना का लाभ एक बार प्राप्त होगा।
- (iv) योजना का लाभ राज्य शासन के समानांतर किसी अन्य योजना से प्राप्त कर रहे है, तो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

(स) योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया

- (i) आवेदक/आवेदिक के स्वयं के हस्ताक्षरयुक्त आवेदन करने पर अथवा स्व-सहायता समूह की स्थिति में समूह के प्रमुख द्वारा आवेदन करने पर।
- (ii) आवेदन में पंजीयन क्रमांक अंकित किया जाना आवश्यक है।
- (iii) आवेदन जिला श्रम कार्यालय में जमा किया जावेगा।
- (iv) योजना का आवेदन करते समय छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल अनुदान राशि रुपये 50,000/- हितग्राही को तभी प्राप्त होगा, जब हितग्राही द्वारा स्वयं का अंशदान एवं बकाया राशि के लिए बैंक से ऋण प्राप्ति संबंधी अभिलेख उपलब्ध करायेगा।


(द) स्वीकृति का अधिकार :-

- (i) योजना के अंतर्गत स्वीकृति का अधिकार संबंधित जिले के कलेक्टर, सहायक श्रम आयुक्त अथवा श्रम पदाधिकारी एवं नगर निगम आयुक्त/नगर पालिका के मुख्य कार्यपालन अधिकारी की समिति को होगी।
- (ii) जिला स्तर समिति द्वारा स्वीकृति कर सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी को अवगत कराने पर सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी द्वारा अनुदान राशि हितग्राही के खाते में सीधे प्रदाय की जावेगी।

(ई) विसंगति का निराकरण-

योजना में उल्लेखित शर्तों/नियमों के अतिरिक्त यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, उस स्थिति में सचिव, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल का इस संबंध में निर्णय अंतिम माना जावेगा।

(छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग द्वारा अनुमोदित)


(पदुम सिंह एल्मा)
सचिव

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मंडल, नया रायपुर


पृ०क० / /

प्रतिलिपि :- 3980

नया रायपुर, दिनांक

20.04.2018

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ०ग०)
2. माननीय अध्यक्ष, छ०ग० भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, नया रायपुर (छ०ग०)
3. श्रमायुक्त सह विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ०ग०)
4. सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी(छ०ग०)
5. उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा (छ०ग०)
6. एनआईसी शाखा, छ०ग० भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल की ओर वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
7. लेखा शाखा, छ०ग० भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, नया रायपुर
8. उप संचालक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, नया रायपुर की ओर प्रेषित कर लेख है, कि कृपया उक्त अधिसूचना आगामी राजपत्र में प्रकाशन उपरांत इसकी 100 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

 19/4/18

सचिव

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मंडल, नया रायपुर

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल

पी0 3सी0, 244-245, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, सेक्टर-27, नया रायपुर

अ.सं.सं.

नया रायपुर, दिनांक 24.03.2018

क्रमांक 62 "भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996" सहपठित "छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियमन) नियम 2008" के नियम 277 तथा 279 में दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एतद् द्वारा छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के हितग्राहियों के लिए निम्नानुसार योजना बनाती है:-

(अ) योजना का प्रावधान :-

(i) योजना का नाम "निर्माण श्रमिक ई-रिक्शा सहायता योजना" होगा।

- योजना के क्रियान्वयन हेतु पंजीकृत निर्माण श्रमिक को ई-रिक्शा हेतु स्वयं के द्वारा रू0 10,000/- प्रदाय किया जावेगा।
- छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा रूपये 50,000/- अनुदान दिया जावेगा।
- ई-रिक्शा हेतु बकाया शेष राशि बैंक से लोन के माध्यम से संबंधित रिक्शा चालक को ऋण दिलवाया जावेगा, जिसका भुगतान हितग्राही द्वारा बैंक द्वारा निर्धारित अवधि एवं ब्याज में देय होगा।
- बैंक द्वारा हितग्राही का लोन स्वीकृत किए जाने संबंधी दस्तावेज सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी को उपलब्ध कराये जाने पर हितग्राही के खाते में सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी द्वारा मंडल का अंशदान हस्तांतरित किया जावेगा।

(ii) योजना के प्रावधान अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होगा।

(ब) योजना की पात्रता :-

- (i) पंजीकृत निर्माण महिला श्रमिक अथवा पंजीकृत निर्माण महिला श्रमिकों का समूह जो स्व-सहायता योजना के तहत पंजीकृत हो, को योजना के लाभ की पात्रता होगी।
- (ii) पंजीकृत श्रमिक की आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष आयु समूह की हो।

- (iii) योजना का लाभ एक बार प्राप्त होगा।
- (iv) योजना का लाभ राज्य शासन के समानांतर किसी अन्य योजना से प्राप्त कर रहे हैं, तो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

(स) योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया

- (i) आवेदक/आवेदक के स्वयं के हस्ताक्षरयुक्त आवेदन करने पर अथवा स्व-सहायता समूह की स्थिति में समूह के प्रमुख द्वारा आवेदन करने पर।
- (ii) आवेदन में पंजीयन क्रमांक अंकित किया जाना आवश्यक है।
- (iii) आवेदन जिला श्रम कार्यालय में जमा किया जावेगा।
- (iv) योजना का आवेदन करते समय छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल अनुदान राशि रूपये 50,000/- हितग्राही को तभी प्राप्त होगा, जब हितग्राही द्वारा स्वयं का अंशदान एवं बकाया राशि के लिए बैंक से ऋण प्राप्ति संबंधी अभिलेख उपलब्ध करायेगा।


(द) स्वीकृति का अधिकार :-

- (i) योजना के अंतर्गत स्वीकृति का अधिकार संबंधित जिले के कलेक्टर, सहायक श्रम आयुक्त अथवा श्रम पदाधिकारी एवं नगर निगम आयुक्त/नगर पालिका के मुख्य कार्यपालन अधिकारी की समिति को होगी।
- (ii) जिला स्तर समिति द्वारा स्वीकृति कर सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी को अवगत कराने पर सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी द्वारा अनुदान राशि हितग्राही के खाते में सीधे प्रदाय की जावेगी।

(ई) विसंगति का निराकरण-

योजना में उल्लेखित शर्तों/नियमों के अतिरिक्त यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, उस स्थिति में सचिव, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल का इस संबंध में निर्णय अंतिम माना जावेगा।

(छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग द्वारा अनुमोदित)


(सविता मिश्रा)

सचिव

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मंडल, नया रायपुर

पृ0क0 / / 3785
प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
2. माननीय अध्यक्ष, छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, नया रायपुर (छ0ग0)
3. श्रमायुक्त सह विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
4. सहायक श्रमायुक्त / श्रम पदाधिकारी / सहायक श्रम पदाधिकारी(छ0ग0)
5. उप संचालक / सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा (छ0ग0)
6. एनआईसी शाखा, छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल की ओर वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
7. लेखा शाखा, छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, नया रायपुर
8. उप संचालक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, नया रायपुर की ओर प्रेषित कर लेख है, कि कृपया उक्त अधिसूचना आगामी राजपत्र में प्रकाशन उपरांत इसकी 100 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

सचिव

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मंडल, नया रायपुर